न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—171/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/171)

1. प्रेमदेवी पत्नि मांगीलाल जाति भांबी निवासी ग्राम चौनपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. सोहनी बेवा पांचू
2. कालू पुत्र पांचू
3. बलवीर पुत्र पांचू
4. भाणू पुत्र पांचू
   समस्त जाति भांबी समस्त निवासी ग्राम चौनपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
5. गोपी दत्तक पुत्र बरदा जाति भांबी निवासी ग्राम चौनपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर हाल निवासी राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पीछे, गणेशगंज कोटा की तलाई, अजमेर रोड, सरवाड, तहसील सरवाड जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद राजस्व वाद संख्या 127/2021

उपस्थितः—

1. श्री नवीन गुर्जर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नाथूसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3, 5
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6
4. रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—12.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 127/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गय, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के वाद पत्र

पर सुनवाई करते हुए रेस्पोडेंट्स को नोटिस जारी किए गए जो कि बाद तामील न्यायालय में उपस्थित रहे, तत्पश्चात दिनांक 10.06.2024 को वादीया की साक्ष्य लिए बिना विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2024 को वादीया के वाद पत्र को साक्ष्य के अभाव में खारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 127/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विचारण ने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित करने में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का बगौर अध्ययन नहीं किया व आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया जो इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित करने में विधिक प्रावधानों की अवहेलना की गई इस आधार पर भी आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादीया की साक्ष्य नहीं लिये गए व साक्ष्य प्रस्तुती के अभाव में फौरी तौर पर अपीलांट के वाद को खारिज फरमा दिया गया जो कि जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में इस तथ्य को नजर अन्दाज किया गया कि यदि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्ध जवाब दावा या कन्टेस्टेड पक्षकार उपस्थित नहीं थे तो वाद पत्र के अनुसार साक्ष्य की मांग कर वाद पत्र का निस्तारण किया जा सकता था। उक्त आधार पर भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन न कर बिना विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किये आक्षेपित आदेश पारित किया जो कि जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट अपील में संशोधन करने का विधिक अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 127/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अपीलांट द्वारा कहे गए कथनों में कोई प्रमाणिकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुरूप ही विधिसम्मत रूप से खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में दिनांक 19.06.2024 को निर्णय व डिक्री पारित कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज

किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

वादीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1834 रकबा 0.04 व खसरा नम्बर 1827 रकबा 0.91 में से 0.16 का आवंटन वादीया/अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु व खातेदारी व नक्शा दुरूस्ती उदघोषणा किए जाने हेतु अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को दिनांक 01.10.2021 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.05.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की तरफ से उनके अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 10.06.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया जाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं कराना जाहिर करते हुए प्रकरण में दिनांक 19.06.2024 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री जारी की गई।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना साक्ष्य लिए ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया गया था तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत किए जाने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण में बिना जवाबदावा लिए एकपक्षीय रूप से प्रकरण का निस्तारण किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 1837 व 1838 के स्थान पर मौके पर आवंटन दिनांक से हाल खसरा नम्बर 1834 रकबा 0.04 है0, 1827 रकबा 0.91 है0 में से 0.16 है0 जो खसरा नम्बर 1834 की ओर हाल नक्शे में तरमीम कर खातेदारी प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था। इन समस्त तथ्यों का विधिसम्मत निस्तारण प्रकरण में तनकीयात कायम कर उक्त तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण किए जाने के पश्चात ही किया जा सकता था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया गया, अतः वाद पत्र का खण्डन नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जा सकी तथा वादी/अपीलांट के साक्ष्य नहीं लिए गए जिससे प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया जा सका।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद इस बाबत खारिज किया गया कि वादी द्वारा भूमि के आवंटन से संबंधित दस्तावेजात पेश नहीं किए हैं तथा वादी के पति को किस तरफ की भूमि का आवंटन हुआ था यह वादी ने स्पष्ट नहीं किया है। इन समस्त तथ्यों का निस्तारण प्रकरण में तनकीयात कायम कर जरिए दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित किए जाने के पश्चात ही किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है, चूंकि निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय से त्रुटि कारित हुई है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विधिक त्रुटि कारित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 127/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है

कि वह उभयपक्षों को प्रकरण में साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.02.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर